



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05062020-219739
CG-DL-E-05062020-219739

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1555]
No. 1555]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 4, 2020/ज्येष्ठ 14, 1942
NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 4, 2020/JYAISHTHA 14, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जून, 2020

का.आ. 1737(अ).—अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है को पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को लिखित रूप में या ई-मेल esz-mef@nic.in पर भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

चक्रशिला वन्यजीव अभयारण्य, जिसका क्षेत्रफल 45.568 वर्ग किलोमीटर में है असम के धुबरी और कोकराझार जिलों में स्थित है और यह असम सरकार द्वारा अधिसूचना सं. एफओआर/एसईटीटी/269/60/440 दिनांक 26 अक्टूबर 1966 द्वारा पूर्व में घोषित चक्रशिला हिल रिजर्व की संरक्षण स्थिति को उन्नयन करते हुए पारिस्थितिकी, वनस्पति, जीवजंतु और प्राकृतिक महत्व और अधिसूचना सं.एफओआर/डब्ल्यू-6/93/63, दिनांक 14 जुलाई, 1994 द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अधीन वन्यजीव और उसके पर्यावरण के संरक्षण, प्रसार और विकास की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अधिसूचित किया गया था;

और, यह अभयारण्य में वनस्पति विविधता की वृक्ष की लगभग 57 प्रजातियों, छोटे वृक्षों की 34 प्रजातियां, झाड़ियों की 42 प्रजातियां, छोटी झाड़ियों की 18 प्रजातियां, जड़ी-बूटियों की 58 प्रजातियों, घासों की 27 प्रजातियां, एपिफाइट्स की 11 प्रजातियां और फर्न और एलिस की 27 प्रजातियों का आश्रय और सुरक्षा प्रदान करता है। अभयारण्य में जीव-जंतु विविधता का आश्रय प्रदान करता है जिसमें स्तनधारियों की 20 प्रजातियां, उभयचरों की 13 प्रजातियां, सरीसृपों की 10 प्रजातियां, पक्षी जीव की 109 प्रजातियां, कीड़े मकोड़ों की 3 प्रजातियां और तितलियों की 76 प्रजातियां शामिल हैं;

और, इस अभयारण्य क्षेत्र में वन के विभिन्न प्रकारों के साथ विभिन्न वृक्ष प्रजातियां जैसे साल (*शोरिया रोबुस्टा*), बहेरा (*टर्मिनलिया बेलेरिका*), भेलु (*टेट्रामाल्स न्यूडिफ्लोरा*), भेलकर (*ट्रेवा न्यूडिफ्लोरा*), गामरी (*गेलिना आबोरिया*), कुम (*कैरिया आबोरिया*), कंचन (*बाउहिनिया एसपीपी.*), सिमुल (*बांम्बैक्स सेइवा*), आदि, विभिन्न किस्मों की झाड़ियों, जड़ी-बूटियों, बांसों और घासों का समृद्ध वास है जो कि गोल्डेन लंगूर सहित जंगली पशुओं के आहार के लिए बहुत उपयुक्त है और औषधीय मूल्यों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अभयारण्य में कई तरह के लिचेंस, फर्न और ऑर्किडस आदि भी महत्वपूर्ण हैं;

और, अभयारण्य एकमात्र संरक्षित क्षेत्र है जिसे विशेष रूप से विश्व में गोल्डेन लंगूर के दीर्घकालिक संरक्षण के लिए नामित किया गया है, लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति के संरक्षण के लिए संघ रेड डाटा बुक की वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 परिशिष्ट-1 की अनुसूची-1 के तहत सूचीबद्ध है, जो इस क्षेत्र के लिए स्थानिक चिंताजनक लुप्तप्राय जनसंख्या के कारण सूचीबद्ध किया गया है; और अभयारण्य में विभिन्न जंगली पशु जैसे स्तनधारियों गोल्डेन लंगूर (*ट्रेचीपिटेकस गिर्ड*), रीसस मैकैक (*मकाका मुलाटा*), मुंजक (*मुन्नीटाकस मुंटजैक*), छोटे भारतीय नेवला (*हेरपेस्टेस एरोपंटैटस*), तेंदुए बिल्ली (*फेलिस बेंगालेंसिस*), जंगली बिल्ली (*फेलिस चौस*), तेंदुआ (*पेंथेरा पार्डस*), सामान्य मुसंग (*पैराडॉक्सुरस हेर्मेफ्रोडाइट्स*), चाइनिससाल (*मैनिस पेंटाडेक्टाइला*), ब्लैक या मालायानजिपेंट गिलहरी (*रतुफा बाइकोलोर*), रूफड टेलडहेर (*लेपस नाइग्रिकोलिस*), गोल्डेन सियार (*कैनिस ऑरियस*), इंडियन पेंपिस्ट्रेले, (पिपिस्ट्रेलस कोरोमांड्रा), डांग डियर (*करवस पॉरसिनस*), सांभर (*कर्वस यूनीकोलर*), छोटे भारतीय मुसंग (*विवेरिकुला इंडिका*), रीछ (*सस स्क्रोफा*), लार्ज बैंडिकूट रैट (*बैंडिकूटा इंडिका*), हिमालयी क्रेस्टलेस पॉरकुपाइन (*हेस्ट्रीक्स ब्राचीयुरन हांगसोनी*), लेसर शॉर्ट-नॉट फ्रूट बैट (*सिनोपटेरस ब्राचियोटिस*), आदि का भी वास है;

और, चक्रशिला वन्यजीव अभयारण्य में मुख्य उभयचर और सरीसृपों की प्रजातियों में कॉमन इंडियन टॉड (*दत्तफ्रीयनस मेलानोसिस्टिक्टस*), ऑरनेट नेरो-माउथफ्रॉग (*माइक्रोहिल ऑर्नाटा*), पेंटेडफ्रॉग (*कलौला टेप्रोबेनिका*), बैलोन फ्रॉग (*यूपरोडोन ग्लोब्युलोसस*), इंडियन बुल फ्रॉग (*होप्लोबैट्राचस टाइगरिनस*), जेरडन बुल फ्रॉग (*होप्लोबैट्राचस क्रैसस*), स्किटैरिंग फ्रॉग (*यूफ्लाक्टिस साइनोफ्लाक्टिस*), लॉग टंगड मेंढक (*सिल्विराना लेप्टोग्लॉस*), ब्राइट मेंढक (*सिल्विराना हेमेरालिस*), रीड मेंढक (*हिलाराना टाइलरी*), तराई क्रिकेट मेंढक (*फेजेरवर्या टेरेंसिस*), स्मॉल क्रिकेट मेंढक (*फेजेरवर्या पाइरेई*), तराई ट्री मेंढक (*पॉलीपेडेड्स टेरेंसिस*), कॉमनगारडेन छिपकली (*कैलोड्स एसपीपी*), बॉवरिंग बराक गेक्को (*हेमिडैक्टाइलस बॉरिंग*), व्हाइट-स्पॉटेडस्ट्रीम (*स्फेनोमोर्फस मैक्यूलैटम*), मल्टीफ्रैक्टेड स्किंक (*माबुया मल्टीफ्रैसिआटा*), पीकाँक सॉफ्ट-शेल्ड कल्लुआ (*एस्पाइडरेट हरुम*), इलोनोटेड कल्लुआ (*इंडोस्टेस्टूडो इलोनोटेड*), कॉमन ब्रॉन्ज-बैक ट्री स्नेक (*इंड्रेलपिस ट्रिस्टिस*), ब्राउन विहप स्नेक (*अहातुल्ला प्रासिनस*), बैंडेड करैट (*बुंगेरस फैसिआटस*), इंडियन रॉक पायथन

(पायथन मोलुरस), आदि उपलब्ध है। जबकि अभयारण्य में अकशेरुकी प्रजातियाँ मोलस्क (साइक्लोफॉस पैरसोनी), मोलस्क (ब्रोटीया कोस्टुला), मोलस्क (प्लूडोमस कोनिका), रेड स्ट्रीम क्रैब (पैराथेलफुसा एसपी), लार्ज केंचुआ (यूटोफीयू गिगास), आदि उपलब्ध है;

और, अभयारण्य पक्षी जीवजंतु की विविध प्रजातियों जैसे लिटिल कॉमॉरेंट (फेलाक्रोकॉरैक्स), लार्ज एगरेट (अर्दिया अल्बा), इंटरमीडिएट एगरेट (एग्रेटा इंटरमीडिया), लिटिल एग्रेट (एग्रेटा गार्जेटा), कैटल एगरेट (बुबुलकस इबिस), ग्रे हेरोन (अरदेया सिनेरिया), भारतीय तालाब बगुला (अरदेओला ग्रेयी) लेसर एडजुटेंट सारस (लेप्टॉपिलोस जावानिकस), एशियन (एनास्टोमस ऑसिटैस), गडवाल (अनस स्ट्रेपेरा), लेजरविस्टलिंगटील (डेंड्रोसीग्रा जावानिका), यूरेशियन वेगन (अनस पेनेलोप), बेयर पोचर्ड (एंथिया बैरी), कॉमन टील (अनस क्रेक्का), मलाई (अनस प्लैटिहिनचोस), नार्थन पिटेल (अनास एकुटा), नार्थनशोवेलेर (अनस क्लाइपेटा), रेड-क्रेस्टेड पोचार्ड (नेट्टा रूफिना), फेरुगिनोअस डक (अयथ्या निरोको), गार्गनी (अनस क्रेरकेडुला), कॉमन पोचार्ड (अथिया फेरिना), टफटेड डक (अथिया फुलीगुला), पाइड हैरियर (सर्कस मेलानोलुकोस), ईस्टर्न मार्श हैरियर (सर्कस स्पिलोन्टस), ओस्प्रे (पंडियन हेलियाटस), यूरेशियन स्पैरोव हॉक (एकिपिटर निसस), ग्रेटरस्पॉटेड ईगल (एक्विला क्लेन्ना), ब्लैककाइट (मिलबस माइग्रेनस गोविंदा), रेड-हेडेड वलचर (सरकोजिपस कैल्वस), भारतीय मोर (पावो क्रिस्टेटस), लाल जंगल फाउल (गैलस गैलस), नार्थन लैपविंग (वनेलस वेनेलस), ग्रे हेडेड लैपविंग (वैनेलस सिनेरियस), रेड-वांटल्ड लैपविंग (वैनेलस इंडिकस), पैसिफिक गोल्डन प्लोवर (प्लुवियलिस फुलवा), रिवर लैपविंग (वनेलस ड्युवुसेलि), लिटिल रिंगड प्लोवर (चराड्रियस डबियस), ग्रेटरसैण्ड प्लोवर (चराड्रियस लेसटेनौलटिया), येलो फुटेड ग्रीन कबूतर (टेरोन फोनिकोप्टेरा), ओरिंटल कल्लुए कबूतर (स्ट्रेप्टोपेलिया ओरिंटालिस), चित्तीदार कबूतर (स्ट्रेप्टोपेलिया चिनेंसिस), यूरेशियन कॉलार्ड कबूतर (स्ट्रेप्टोपेलिसा डेकाटेक्टो), रेड-ब्रेस्टेड पैराकिट (सिट्राकुला एलेक्सान्दरी), कॉमन हॉक कुक्कू (हिरोकोक्कीस वैरिअस), ओपन बिल स्ट्रोक (अनसटोमस ऑस्टिटैनस), फिसंट-टेल्ड जेकाना (हाइड्रोपेशियनस चिरुगस), ब्रॉज -विंगडजेकाना (मेटोपिडियस इंडिकस), पाइड अवोसेट (रिकुरविरोखा एवोसेट्टा), लिटिल ग्रेबे (टचीवप्टस रुफिकोलिस), ग्रेट क्रेस्टेड ग्रेबे (पोडिसेप्स क्रिस्टाटस), कॉमन कूट (फुलिका अटरा), पर्पल स्वैम्फेन (पोर्फिरियो पोर्फिरियो), व्हाइट-श्रोएटेड किंगफिशर (हैलसिओम स्मीरनेनसिस), कॉमन किंगफिशर (एलसेडो एथिस), लेसर पाइड किंगफिशर (सेरिले रडिस), रड्डी किंगफिशर (हैलसीओन कोरोमांडा), येलो वाग्टेल (मोटाकिल्ला फ्लेवा), वाइट-वागटेल (मोटाकिला आइबा), सिट्रिन-वैगटेल (मोटाकिल्ला सिरिओला), ग्रे-वैगटेल (मोटाकिला सिरिओला), ब्लैक हेडेड गूल (लार्स राइडिबंडस), व्हिस्कर्ड टर्न (चाइल्डोनियास हाइब्रिडस), बार्न स्वाँलोज (हीरंडो रस्टिका), कॉमन केस्ट्रल (फाल्को टिनुकुलस), ग्रीन बी-इटर (मेरोप्स ओरिएंटलिस), इंडियन रोलर (कोरासिया बेंगालेंसिस), ब्लू-श्रोटेड बारबेट (मेगालिमा एशियाटिक), लाइन-इटेड बेबेट (मेगालिमा लिनेटी), ब्लैक-रोम्पेड फ्लेमबैक (डिनोपियम बेंगालेंसे), लॉन्ग-टेल्ड थ्रिक (लैनियस चैच), ग्रे-बैकड थ्रिक (लैनियस टेफरोनोटस), ब्लैक-हुडेड ओरियोल (ओरोलस ज़ेंथोनस), आशी ड्रोनगो (डिक्रुरस लेकोसीफालस), ब्रॉज्ड ड्रोंगो (डिक्रुर एनेअस), ग्रेटर रैकेट टेल्ड ड्रोनगो (डिक्रुरस प्रेडिसस), क्रो-बिल्ड ड्रोनगो (डिक्रुरस एनेक्टंस), सामान्य मैना (एक्रिडोथर्स ट्रिस्टिस), एशियाई पाइड स्टारलिंग (स्टुरनस कोन्ट्रा), लॉग-टेल्ड मिनिवेट (पेरीक्रोटस इथोलोगस), यलो-ब्रावड वॉर्बलर (फीलोस्कोपस इनोरेटस), प्लेन प्रिनिया (प्रिनिया सबफ्लावा), जंगल वॉर्बलर (टुरडोइडेस स्ट्रिएटस), स्टैएटेड ग्रासबर्ड (मेघलुरस पैलुस्ट्रीस), गोल्डन-स्पेस्टैक्लेड वॉर्बलर (सिसरकस बुकी), ब्लैक-नैण्ड मोनार्क (हाइपोथीमस एज्यूरिया), ग्रे-हेडेड कैनरी फ्लाइकैचर (क्यूलिकापा सीलोनेंसिस), लिटिल पाइड फ्लाइ कैचर (फिसेडुलावेस्टरमन्नी), रूफस ट्री पाई (डेंड्रोकिट्टा वगाबुन्डा), लार्ज-बिल्डक्रो (कोरवस मैक्रोहिनचोस), ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल (एन्थ्राकोसेरोस अल्बेरोइस्ट्रिस), ग्रेट हॉर्नबिल (बुसेरोस वाइकोर्निस), रेड-वेंटेड बुलबुल (पाइकोनोटस कैफर) व्हाइटरम्पड शमा (कोप्सिकस मैलेबारिकस), व्हाइट-कैपड वाटर रेडस्टार्ट (चमरोरोनिस ल्यूकोसेफालस), यूरेशियन ट्री स्पैरो (पैसर मोंटैन्स), स्केली-ब्रेस्टेड मुनिया (लोन्चुरा पंकटुलाटा), जैक स्पाइन (लिमनोक्रिप्टेस मिनिमस), कॉमन स्निप (गैलिनागो गैलिनागो), मार्श सैंडपाइपर (ट्रिंगा स्टैग्राटिलिस), ग्रीन सैंडपाइपर (ट्रिंगा ऑक्रोपस), वुड सैंडपाइपर (ट्रिंगा ग्लारेओला), कॉमन सैंडपाइपर (एक्टाइटिस हाइपोलेकॉस), कॉमन ग्रैबिन

शैंक (ट्रिंगा नेबुलैरिया), लिटिलस्टिंट (कैलिड्रिस मिनुटा), पेंटेड स्निप (रोसरटुला बेंघालेंसिस), जंगल बुशकैल (पेरडिकुला एशियाटिक), आदि को भी आश्रय प्रदान करता है;

और, अभयारण्य क्षेत्र असम के बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिला के कोकराझर जिला में विभिन्न वन प्रकार, स्थानिक आवास व्यवस्था और लुसप्राय गोल्डेन लंगूर (ट्राचिपिथेकस गीई) और अन्य जीवजंतु प्रजातियों के साथ पहाड़ी और समतल क्षेत्र है;

और, चक्रशिला वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों की श्रेणियों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) खंड (v) और खंड (xiv) एवं उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, असम राज्य के धुबरी और कोकराझर जिले में चक्रशिला वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 76.27 मीटर से 8.79 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को चक्रशिला वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी-संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा.**-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार चक्रशिला वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 76.27 मीटर से 8.79 किलोमीटर तक होगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 251.03076 वर्ग किलोमीटर है।
 - (2) चक्रशिला वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का वर्णन **उपाबंध-I** के रूप में संलग्न है।
 - (3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन का सीमांकन करते हुए चक्रशिला वन्यजीव अभयारण्य का मानचित्र **उपाबंध-IIक** और **उपाबंध-IIख** के रूप में संलग्न है।
 - (4) चक्रशिला वन्यजीव अभयारण्य और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची **उपाबंध-III** के सारणी **क** और सारणी **ख** में दी गई है।
 - (5) मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध-IV** के रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.-(1) राज्य सरकार, द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना बनायेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी।

(3) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए इसे राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा:-

- (i) पर्यावरण;

- (ii) वन और वन्यजीव;
- (iii) कृषि और बागवानी;
- (iv) भूमि राजस्व और निपटान;
- (v) शहरी विकास;
- (vi) ग्रामीण विकास;
- (vii) नगरपालिका;
- (viii) पंचायती राज;
- (ix) पर्यटन;
- (x) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
- (xi) राजस्व;
- (xii) असम राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड; और
- (xiii) लोक निर्माण विभाग ।

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हें अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(5) आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों के सुधार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का सहायक मानचित्र के साथ निर्धारण किया जाएगा और विद्यमान और प्रस्तावित भू-उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा भी सहायक मानचित्र द्वारा दिया जाएगा।

(7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा और सारणी में यथासूचीबद्ध पैराग्राफ 4 में प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी ।

(9) अनुमोदित आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके ।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क), में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के

उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा जैसे:-

- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का संनिर्माण करना;
- (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (iv) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, और स्थानीय सुविधाएं तथा ग्रह वास; और
- (v) पैराग्राफ-4 में उल्लिखित बढ़ावा दिए गए क्रियाकलाप:

परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा।

(ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण तथा पर्यावासों की बहाली के प्रयास किए जाएंगे।

(2) प्राकृतिक जल स्रोत.- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जलमार्गों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आंचलिक महायोजना में उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा जल आवाह प्रबंधन योजना इस रीति से बनाई जाएगी कि उसमें आवाह क्षेत्रों में विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध और निर्बंधित किया गया हो।

(3) पर्यटन अथवा पारिस्थितिकी पर्यटन.- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन सम्बंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श राज्य से राज्य पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जायेगी;

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात्:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

तथापि, पर्यटन महायोजना के अनुसार सुविधाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में नए होटलों और रिजॉर्ट की स्थापना अनुज्ञात होगी;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का

विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देने के साथ राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल/ रिजॉर्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा।

(4) **प्राकृतिक विरासत.**— पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.**— पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबंधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.**— पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के लिए विनियमों को कार्यान्वित किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण.**— पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) **बहिस्त्राव का निस्सारण.**— पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सारण पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.**— ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन (ईएसएम) अनुज्ञात किया जायेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.**— जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जायेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई-अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा संशोधित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **सड़क-यातायात.-** सड़क-यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की मानीटरी करेगी।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण.-** वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी।

(ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी।

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण अधिनियम उसके अधीन बने नियमों के उपबंधों जिसमें तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 शामिल है सहित वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्रम सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	टिप्पणी (3)
क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और क्रशिंग इकाईयां।	(क) वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने और व्यक्तिगत उपभोग के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाईयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होगी; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की 1995 द्वारा रिट याचिका (सिविल) सं. 202 में टी.एन. गौडावर्मन थिरूमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और 2012 की रिट याचिका (सी) सं. 435 में गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में प्रचालित की जाएंगी।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुमति नहीं होगी: जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
3.	जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रसंकरण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्त्रावों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
7.	ईट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
8.	जलावन लकड़ी का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
ख. विनियमित क्रियाकलाप		
9.	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी। परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार करने की अनुज्ञात होगी।

10.	फर्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने को छोड़कर लागू विधियों के अधीन विनियमित (अन्यथा प्रदान किए गए) होंगे।
11.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु, स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार दी जाएगी, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी। परन्तु गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे। (ख) एक किलोमीटर से आगे आंचलिक महायोजना की अनुसार विनियमित होंगे।
12.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग तथा अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागबानी या कृषि आधारित उद्योग, जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
13.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई केन्द्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।
14.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
15.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा। (भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा)।
16.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	लागू विधियों, नियमों और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार न्यूनीकरण उपाय किए जाएंगे।
17.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ बनाना और नई सड़कों का निर्माण।	लागू विधियों, नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार न्यूनीकरण उपाय किए जाएंगे।
18.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उड़ाना आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
19.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
20.	रात्रि में वाहन यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा।

21.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
22.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्वाह का निस्सारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्वाह के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनःउपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्वाह का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
23.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
24.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुएं, बोर कुएं आदि।	लागू विधियों द्वारा विनियमित किया जाएगा और समुचित प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलाप की सख्त मानीटरी की जाएंगी।
25.	प्लास्टिक के थैलों का उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
26.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
27.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
28.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
29.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।

ग. संवर्धित क्रियाकलाप

30.	वर्षा जल संचय।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
31.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	बागवानी और वनौषधिक का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	अवक्रमित भूमि/वनो/ पर्यावासों की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
40.	पर्यावरण के प्रति जागरूकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन अधिसूचना की निगरानी के लिए निगरानी समिति.- इस अधिसूचना के प्रावधानों की प्रभावी निगरानी के लिए केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक निगरानी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

क्र. सं.	निगरानी समिति का गठन	पद
(i)	परिषद का प्रमुख विभाग, वन, बीटीसी	अध्यक्ष, पदेन;
(ii)	उपायुक्त, कोकराझार और धुबरी के प्रतिनिधि	सदस्य;

(iii)	जिला कृषि अधिकारी, कोकराझार/धुबरी	सदस्य;
(iv)	जिला मत्स्य अधिकारी, कोकराझार / धुबरी	सदस्य;
(v)	पुलिस विभाग का प्रतिनिधि	सदस्य;
(vi)	बिजली और बिजली विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य;
(vii)	पशुपालन और पशु चिकित्सा विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य;
(viii)	मृदा और नमी संरक्षण विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य;
(ix)	लघु सिंचाई विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य;
(x)	बीटीसी सरकार द्वारा, स्थानीय पर्यटन उद्योग के प्रतिनिधि को नामित किया जाना है	सदस्य;
(xi)	जिला उद्योग अधिकारी, कोकराझार/धुबरी	सदस्य;
(xii)	क्षेत्र के वरिष्ठ नगर नियोजक	सदस्य;
(xiii)	असम सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन का प्रतिनिधि	सदस्य;
(xiv)	क्षेत्रीय अधिकारी, असम राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बोंगाईगाँव / कोकराझार / धुबरी	सदस्य;
(xv)	राज्य के प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(xvi)	राज्य सरकार द्वारा नामित जैव विविधता में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(xvii)	प्रभागीय वनाधिकारी, धुबरी प्रभाग, कोकराझार	सदस्य;
(xviii)	प्रभागीय वनाधिकारी, हाल्टूगाँव प्रभाग, कोकराझार	सदस्य;
(xix)	प्रभागीय वनाधिकारी वन्यजीव प्रभाग, कोकराझार	सदस्य-सचिव।

6.विचारार्थ विषय:- (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और इसके बाद निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित क्रियाकलापों की इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति लेने के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजा जाएगा।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को भेजा जाएगा।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त या संबंधित उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद दायर करने के लिए सक्षम होगा।

- (6) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को, प्रत्येक मामले में आवश्यकता के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।
- (7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध V** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।
- (8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।
7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेगी।
8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे।

[फा.सं. 25/03/2018-ईएसजेड]

डॉ. सतीश चन्द्र गढकोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध- I

असम राज्य में चक्रशिला वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

दक्षिण: जीपीएस बिन्दु सं. 1 (90° 24' 2.435" पू एवं 26° 15' 15.937" उ) से सीमा सड़क के साथ जाती है यह जीपीएस बिन्दु सं. 2 (90° 22' 59.475" पू एवं 26° 15' 37.698" उ)से मिलती है। जीपीएस बिन्दु सं. 2 से सीमा जीपीएस बिन्दु सं. 3,4, 5 को पार करके श्रीग्राम रिज़र्व वन सीमा के साथ दक्षिण की ओर जाती है और जीपीएस बिन्दु सं. 6 (90° 22' 0.657" पू एवं 26° 15' 56.342" उ)से मिलती है। जीपीएस बिन्दु सं. 6 से पुनः सीमा जीपीएस बिन्दु सं. 7,8,9,10, 11 को पार करके सड़क के साथ जाती है और जीपीएस बिन्दु सं. 12 (90° 16' 31.958" पू एवं 26° 16' 23.233" उ)से मिलती है।

पश्चिम: जीपीएस बिन्दु सं. 12 से पुनः सीमा गौरंगा नदी के साथ उत्तर की ओर जाती है यह जीपीएस बिन्दु सं. 15 (90° 14' 20.920" पू एवं 26° 18' 21.725" उ) से मिलती है। जीपीएस बिन्दु सं. 15 से पुनः सीमा जीपीएस बिन्दु सं.16,17,18,19 को पार करके तरंग नदी के साथ उत्तर की ओर जाती है और जीपीएस बिन्दु सं.20 (90° 17' 51.767" पू एवं 26° 23' 3.854" उ)से मिलती है। जीपीएस बिन्दु सं. 20 से सीमा जीपीएस बिन्दु सं. 21, 22,23,24 को पार करके सड़क के साथ जाती है और जीपीएस बिन्दु सं.25 (90° 20' 46.573" पू एवं 26° 25' 59.574" उ)से मिलती है।


उत्तर: जीपीएस बिन्दु सं. 25 से सीमा जीपीएस बिन्दु सं.26,27 को पार करके पुका गांव रिज़र्व वन सीमा के साथ-साथ सड़क के साथ जाती है और जीपीएस बिन्दु सं. 28 (90° 23' 6.305" पू एवं 26° 26' 27.792" उ)से मिलती है।

पूर्व: जीपीएस बिन्दु सं.28 से सीमा जीपीएस बिन्दु सं. 29, 30 को पार करके कैनल के साथ जाती है और जीपीएस बिन्दु सं.31 (90° 23' 59.234" पू एवं 26° 24' 32.286" उ)से मिलती है। जीपीएस बिन्दु सं. 31 से सीमा जीपीएस बिन्दु सं.32, 33, 34, 35 को पार करके सड़क के साथ जाती है और जीपीएस बिन्दु सं.36 (90° 24' 44.793" पू एवं 26° 23' 46.102" उ)से मिलती है। जीपीएस बिन्दु सं. 36 से सीमा जीपीएस बिन्दु सं. 37 को पार करके सड़क के साथ दक्षिण की ओर जाती है और जीपीएस बिन्दु सं. 38 (90° 24' 36.671" पू एवं 26° 21' 33.877" उ)से

मिलती है। जीपीएस बिन्दु सं. 38 से सीमा जीपीएस बिन्दु सं. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 को पार करके चाय बागान क्षेत्र के साथ जाती है और जीपीएस बिन्दु सं. 56 ($90^{\circ} 25' 41.657''$ पू एवं $26^{\circ} 17' 19.989''$ उ)से मिलती है। जीपीएस बिन्दु सं. 56 से सीमा जीपीएस बिन्दु सं. 57 को पार करके सड़क के साथ पश्चिम की ओर जाती है और जीपीएस बिन्दु सं. 58 ($90^{\circ} 25' 18.632''$ पू एवं $26^{\circ} 17' 26.653''$ उ)से मिलती है। जीपीएस बिन्दु सं. 58 से पुनः सीमा जीपीएस बिन्दु सं. 59 को पार करके चाय बागान क्षेत्र के साथ जाती है और जीपीएस बिन्दु सं. 60 ($90^{\circ} 25' 8.609''$ पू एवं $26^{\circ} 16' 55.898''$ उ)से मिलती है। जीपीएस बिन्दु सं. 60 से सीमा जीपीएस बिन्दु सं. 61, 62, 63, 64, 65 को पार करके अरेयारझर रिज़र्व वन के साथ जाती है और जीपीएस बिन्दु सं. 66 ($90^{\circ} 25' 6.731''$ पू एवं $26^{\circ} 15' 36.624''$ उ)से मिलती है। जीपीएस बिन्दु सं. 66 से सीमा जीपीएस बिन्दु सं. 67 को पार करके सड़क के साथ जाती है और जीपीएस बिन्दु सं. 1 ($90^{\circ} 24' 2.435''$ पू एवं $26^{\circ} 15' 15.937''$ उ)से मिलती है।


उपाबंध- IIक

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ चक्रशिला वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थिति की संवेदी जोन का गूगल मानचित्र



उपाबंध- II ख

भारतीय सर्वेक्षण (एस ओ आई) टोपोशीट पर मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ चक्रशिला वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध-III

सारणी क: चक्रशिला वन्यजीव अभयारण्य के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र. सं.	प्रमुख बिंदुओं की पहचान (●)	अक्षांश (उ) (डी एम एस प्रारूप)	देशांतर (पू) (डी एम एस प्रारूप)
1	1	26° 22' 15.051" उ	90° 20' 9.133" पू
2	2	26° 22' 8.168" उ	90° 20' 47.053" पू
3	3	26° 21' 30.788" उ	90° 20' 56.680" पू
4	4	26° 21' 12.930" उ	90° 21' 26.219" पू
5	5	26° 20' 37.884" उ	90° 21' 29.087" पू
6	6	26° 20' 20.862" उ	90° 21' 15.629" पू
7	7	26° 19' 50.394" उ	90° 21' 35.655" पू
8	8	26° 19' 40.723" उ	90° 21' 29.839" पू
9	9	26° 19' 27.429" उ	90° 21' 46.375" पू
10	10	26° 19' 9.471" उ	90° 22' 2.361" पू
11	11	26° 18' 36.349" उ	90° 21' 53.190" पू
12	12	26° 18' 23.370" उ	90° 22' 38.099" पू
13	13	26° 17' 44.052" उ	90° 22' 11.751" पू
14	14	26° 17' 43.964" उ	90° 21' 44.095" पू
15	15	26° 17' 14.320" उ	90° 20' 58.974" पू
16	16	26° 17' 30.643" उ	90° 20' 22.579" पू
17	17	26° 18' 7.933" उ	90° 20' 10.548" पू
18	18	26° 19' 4.515" उ	90° 19' 59.749" पू
19	19	26° 18' 28.207" उ	90° 19' 41.431" पू
20	20	26° 17' 38.915" उ	90° 19' 26.827" पू
21	21	26° 18' 29.511" उ	90° 19' 4.591" पू
22	22	26° 18' 49.165" उ	90° 18' 44.421" पू
23	23	26° 19' 13.462" उ	90° 18' 39.591" पू
24	24	26° 19' 21.894" उ	90° 18' 29.271" पू
25	25	26° 19' 43.219" उ	90° 18' 24.756" पू
26	26	26° 18' 43.312" उ	90° 18' 13.747" पू
27	27	26° 18' 18.425" उ	90° 18' 11.542" पू
28	28	26° 18' 34.094" उ	90° 17' 42.718" पू
29	29	26° 19' 21.185" उ	90° 17' 44.844" पू
30	30	26° 18' 47.494" उ	90° 17' 29.628" पू
31	31	26° 19' 5.696" उ	90° 17' 17.956" पू
32	32	26° 19' 37.878" उ	90° 16' 46.542" पू
33	33	26° 19' 43.594" उ	90° 16' 35.991" पू

34	34	26° 20' 10.000" उ	90° 16' 42.234" पू
35	35	26° 20' 21.696" उ	90° 17' 17.340" पू
36	36	26° 20' 20.449" उ	90° 17' 52.818" पू
37	37	26° 21' 4.213" उ	90° 18' 33.673" पू
38	38	26° 21' 0.128" उ	90° 19' 7.338" पू
39	39	26° 21' 42.956" उ	90° 19' 41.426" पू
40	40	26° 22' 3.950" उ	90° 19' 17.423" पू

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र. सं.	प्रमुख बिंदुओं की पहचान (▲)	अक्षांश (उ) (डी एम एस प्रारूप)	देशांतर (पू) (डी एम एस प्रारूप)
1	1	26° 15' 15.937" उ	90° 24' 2.435" पू
2	2	26° 15' 37.698" उ	90° 22' 59.475" पू
3	3	26° 14' 55.435" उ	90° 23' 16.943" पू
4	4	26° 14' 7.666" उ	90° 22' 9.769" पू
5	5	26° 15' 16.248" उ	90° 21' 39.445" पू
6	6	26° 15' 56.342" उ	90° 22' 0.657" पू
7	7	26° 16' 58.640" उ	90° 21' 37.087" पू
8	8	26° 16' 31.246" उ	90° 20' 45.137" पू
9	9	26° 16' 14.500" उ	90° 19' 46.525" पू
10	10	26° 15' 35.214" उ	90° 19' 28.253" पू
11	11	26° 16' 5.678" उ	90° 17' 47.494" पू
12	12	26° 16' 23.233" उ	90° 16' 31.958" पू
13	13	26° 16' 51.145" उ	90° 16' 3.642" पू
14	14	26° 17' 32.060" उ	90° 15' 0.976" पू
15	15	26° 18' 21.725" उ	90° 14' 20.920" पू
16	16	26° 19' 29.065" उ	90° 14' 57.608" पू
17	17	26° 19' 59.692" उ	90° 15' 36.389" पू
18	18	26° 20' 49.481" उ	90° 16' 23.750" पू
19	19	26° 21' 40.008" उ	90° 16' 55.931" पू
20	20	26° 23' 3.854" उ	90° 17' 51.767" पू
21	21	26° 22' 57.213" उ	90° 18' 16.997" पू
22	22	26° 23' 57.350" उ	90° 19' 1.259" पू
23	23	26° 25' 17.037" उ	90° 19' 33.033" पू
24	24	26° 25' 42.926" उ	90° 20' 49.934" पू
25	25	26° 25' 59.574" उ	90° 20' 46.573" पू
26	26	26° 26' 21.981" उ	90° 21' 23.776" पू
27	27	26° 26' 7.959" उ	90° 22' 20.208" पू

28	28	26° 26' 27.792" उ	90° 23' 6.305" पू
29	29	26° 26' 23.503" उ	90° 23' 28.723" पू
30	30	26° 25' 38.368" उ	90° 23' 37.610" पू
31	31	26° 24' 32.286" उ	90° 23' 59.234" पू
32	32	26° 24' 23.889" उ	90° 24' 1.019" पू
33	33	26° 24' 22.065" उ	90° 23' 29.002" पू
34	34	26° 23' 49.117" उ	90° 23' 17.186" पू
35	35	26° 23' 44.108" उ	90° 23' 54.103" पू
36	36	26° 23' 46.102" उ	90° 24' 44.793" पू
37	37	26° 21' 36.729" उ	90° 24' 30.486" पू
38	38	26° 21' 33.877" उ	90° 24' 36.671" पू
39	39	26° 21' 41.215" उ	90° 24' 51.679" पू
40	40	26° 21' 39.660" उ	90° 25' 12.021" पू
41	41	26° 20' 59.828" उ	90° 25' 4.860" पू
42	42	26° 20' 19.192" उ	90° 24' 51.372" पू
43	43	26° 20' 7.546" उ	90° 24' 47.652" पू
44	44	26° 20' 3.049" उ	90° 24' 45.157" पू
45	45	26° 19' 45.574" उ	90° 25' 3.072" पू
46	46	26° 19' 38.632" उ	90° 25' 1.010" पू
47	47	26° 19' 27.637" उ	90° 25' 2.381" पू
48	48	26° 19' 27.676" उ	90° 25' 28.809" पू
49	49	26° 18' 54.297" उ	90° 25' 35.410" पू
50	50	26° 18' 33.164" उ	90° 25' 56.627" पू
51	51	26° 18' 12.190" उ	90° 25' 54.515" पू
52	52	26° 18' 12.448" उ	90° 25' 53.165" पू
53	53	26° 18' 8.320" उ	90° 25' 52.308" पू
54	54	26° 17' 58.274" उ	90° 26' 5.405" पू
55	55	26° 17' 39.456" उ	90° 25' 50.144" पू
56	56	26° 17' 19.989" उ	90° 25' 41.657" पू
57	57	26° 17' 23.957" उ	90° 25' 29.742" पू
58	58	26° 17' 26.653" उ	90° 25' 18.632" पू
59	59	26° 17' 4.268" उ	90° 25' 10.380" पू
60	60	26° 16' 55.898" उ	90° 25' 8.609" पू
61	61	26° 16' 44.148" उ	90° 25' 24.305" पू
62	62	26° 16' 22.067" उ	90° 25' 38.947" पू
63	63	26° 16' 19.386" उ	90° 25' 22.321" पू

64	64	26° 16' 9.378" उ	90° 25' 18.243" पू
65	65	26° 15' 50.814" उ	90° 25' 5.626" पू
66	66	26° 15' 36.624" उ	90° 25' 6.731" पू
67	67	26° 15' 25.675" उ	90° 24' 34.507" पू

उपाबंध-IV

भू-निर्देशांकों के साथ चक्रशिला वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र. सं.	ग्राम के नाम	जी पी एस अवस्थान	
		अक्षांश (उ)	देशांतर (पू)
1	अभयाखुटी	26°17'255"	90°26'162"
2	अनाजुली	26°19'028"	90°22'098"
3	बंदरपारा	26°18'178"	90°20'023"
4	बंदरमुरी	26°20'256"	90°17'657"
5	बंदवगुरी	26°22'744"	90°18'075"
6	बसभरी (ओवाबरी)	26°18'046"	90°17'579"
7	बसभरी-II (काथलगुरी)	26°21'644"	90°18'232"
8	बेलगुरी1 (धुपगुरी-आर)		
9	बेलगुरी-2 (हरीनगुरी-आर)	26°21'644"	90°18.232"
10	भालुकझोरा	26°19'922"	90°16'125"
11	चक्रशिला	26°17'321"	90°22'085"
12	चोरईखोला	26°23'518"	90°18'453"
13	चौधुरीपारा	26°18'262"	90°18'473"
14	दामोदरपुर-I	26°18'124"	90°18'869"
15	दामोदरपुर-II (राजबोंगसजीपारा)	26°18'124"	90°18'869"
16	दौरईघाट	26°22'700"	90°18'031"
17	द्वकीबरी	26°18'119"	90°17'586"
18	डाबरगांव	26°19'216"	90°22'037"
19	धुपगुरी-I	26°21'608"	90°18'638"
20	हरीखोला(गारोबस्ती)	26°19.090"	90°17'474"
21	हरीनागुरी (राभा)	26°22'411"	90°18'376"
22	हरीनागुरी(नेपालीबस्ती)	26°22'411"	90°18'376"
23	हीरापारा(उजान पारा)	26°19'102"	90°16'431"
24	जतरासीगुरी-I	26°20'623"	90°18'154"
25	जोरनागरा	26°16'592"	90°20'44"
26	खकरीकोला	26.22'185"	90.21'275"
27	कुमरीघाट	2619'393"	9022'055"

28	कुमगुरी	26°21'550"	90°21'705"
29	मालसिंगपारा	26°18'349"	90°22'174"
30	मौरियागांव-1	26°21'153"	90°21'954"
31	मौरियागांव-2	26°20'533"	90°21'445"
32	नलबरी-1 (बोदोबस्ती)	26°21'766"	90°18'930"
33	नलबरी-2 (राभावस्ती)	26°21'766"	90°18'900"
34	नयेकगांव	26°21'553"	90°22'253"
35	पुण्डीबरी	26°22'122"	90°21'222"
36	सलबरी	26°17'261"	90°19'570"
37	सिलजैन	26.22'460"	90.20'529"
38	तराईबरी	26°22'902"	90°18'241"
39	तिनटिल्ला	26°17'379"	90°21'229"
40	गारोटिला	26°23'282"	90°18'808"
41	डिन्डंगपारा	26°23'463"	90°18'571"
42	कटरीगचा	26°21'428"	90°16'923"
43	भोमोरागुरी	26°20'745"	90°18'070"
44	डंगडुफुर	26°19'043"	90°18'172"
45	हरीरडोल	26°16'310"	90°20'436"
46	कुलटुनगपारा	26°20'014"	90°22'365"
47	बेदलान्गमरी (बोरो बस्ती)	26°24'267"	90°19'272"
48	रैनाडाबरी	26°21'242"	90°16'105"
49	घोरामारा	26°20'280"	90°15'438"
50	जमदारपारा	26°24'343"	90°15'663"
51	रानीघुली	26°19'632"	90°15'900"
52	रानीघुली नमापारा	26°19'901"	90°15'436"
53	मुटुपारा	26°18'888"	90°15'714"
54	पटगिरीपारा	26°18'607"	90°16'263"
55	जियागुरी	26°18'836"	90°16'159"
56	नलबरी	26°17'660"	90°17'898"
57	बोरोघोला	26°17'442"	90°17'897"
58	बेथागांव	26°16'895"	90°17'983"
59	बामुनपारा	26°16'877"	90°18'534"
60	बालागाथा	26°16'505"	90°18'648"
61	अमगुरी	26°21'053"	90°23'539"
62	केतेनगाझोरा	26°20'508"	90°23'616"
63	बंगालडोबा	26°19' 291"	90°23'128"

64	गरलाझोरा	26°23'627"	90°22'329"
65	बकसमारा	26°20'704"	90°22'544"
66	तलीपारा-सलीझार	26°22'375"	90°22'049"
67	सतीपुरा	26°16'215"	90°17'233"
68	होरिरडोल	26°18'171"	90°16'212"
69	श्रीगराम	26°17'325"	90°28'110"
70	कोलोबरी	26°18'379"	90°22'239"
71	चगालखुटी	26°20'332"	90°22'518"

उपाबंध-V

की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र:

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें) ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार(पारिस्थितिकी-संवेदी जोन वार) । विवरण उपाबंध के रूप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार।(विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।
6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th June, 2020

S.O. 1737(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, the Chakrashila Wildlife Sanctuary is spread over an area of 45.568 square kilometres located in Dhubri and Kokrajhar districts of Assam and was notified by the Government of Assam considering its ecological, floral, faunal and natural significance, and its need for the protection, propagation and development of wildlife and its environment under the provisions of Wildlife (Protection) Act, 1972 *vide* Notification No. FRW-6/93/63, dated 14th July, 1994 by upgrading the conservation status of the Chakrashila Hill Reserve Forest declared earlier *vide* Notification No. FOR/SETT/296/60/440 dated 26th October, 1966;

AND WHEREAS, the Sanctuary supports and protects floral diversity of about 57 tree species, 34 species of small trees, 42 species of shrub, 18 species of under shrub, 58 species of herbs, 27 species of grasses, 11 species of epiphytes and 27 species of ferns and allies. The Sanctuary supports the diverse faunal diversity including 20 species of mammals, 13 species of amphibians, 10 of reptiles, 109 species of avifauna, 3 species of insects and 76 species of butterflies;

AND WHEREAS, the Sanctuary area/tract with different types of forest habitats is rich in different tree species such as sal (*Shorea robusta*), bahera (*Terminalia belerica*), bhelu (*Tetramales nudiflora*), bhelkar (*Trewa nudiflora*), gamari (*Gmelina arborea*), kum (*Careya arborea*), kanchan (*Bauhinia* spp.), simul (*Bombax ceiba*) etc., variety of shrubs, herbs, bamboos and grasses which are very suitable as food to wild animals including golden langur, and possess immense medicinal value. There are also many kinds of lichens, ferns, and orchids etc. that occur in the forest;

AND WHEREAS, the Sanctuary is the only Protected Area exclusively designated for long term preservation of golden langur in the world, listed under Schedule-I of Wildlife (Protection) Act, 1972, Appendix-I of Convention on International Trade in Endangered Species and International Union for Conservation of Nature Red Data Book which lists it as endangered because of serious decline in population, endemic to this region; and the Sanctuary also harbours different wild animals like mammals golden langur (*Trachypithecus geei*), Rhesus macaque (*Macaca mulatta*), barking deer (*Muntiacus muntjac*), small Indian mongoose (*Herpestes auropunctatus*), leopard cat (*Felis bengalensis*), jungle cat (*Felis chaus*), leopard (*Panthera pardus*), common plam civet (*Paradoxurus hermaphrodites*), chinese pangolin (*Manis Pentadactyla*), black or malayan gaint squirrel (*Ratufa bicolor*), rufous tailed hare (*Lepus nigricollis*), golden jackal (*Canis aureus*), Indianpipistrelle (*Pipistrellus coromandra*), hog deer (*Cervus porcinus*), sambar (*Cervus unicolor*), small indian civet (*Viverricula indica*), wild boar (*Sus scrofa*), large bandicoot rat (*Bandicota indica*), himalayan crestless porcupine (*Hystrix brachyuran hodgsoni*), lesser short-nosed fruit bat (*Cynopterus brachyotis*), etc;

AND WHEREAS, major amphibian and reptiles species available in the Chakrashila Wildlife Sanctuary are common Indian toad (*Duttaphrynus melanostictus*), ornate narrow –mouthed frog (*Microhyla ornata*), painted frog (*Kaloula taprobanica*), ballon frog (*Uperodon globulosus*), Indian bull frog (*Hoplobatrachus tigerinus*), Jerdon's bull frog (*Hoplobatrachus crassus*), skittering frog (*Euphlyctis cyanonphlyctis*), long tongued frog (*Sylvirana leptoglossa*), bright frog (*Sylvirana humeralis*), reed frog (*Hylarana tytleri*), terai cricket frog (*Fejervarya teraiensis*), small cricket frog (*Fejervarya pierrei*), terai tree frog (*Polypedates teraiensis*), common garden lizard (*Calotes spp*), Bowring's barak gecko (*Hemidactylus bowring*), white-spotted stream (*Sphenomorphus maculatum*), multifaceted skink (*Mabuya multifasciata*), peacock soft- shelled turtle (*Aspiderete hurum*), elongated tortoise (*Indolestudo elongated*), common bronze-back tree snake (*Dendrelaphis tristis*), brown whip snake (*Ahaetulla prasinus*), banded krait (*Bungarus fasciatus*), Indian rock python (*Python molurus*), etc. While the invertebrate species available in the Sanctuary are molluscs (*Cyclophous piarsoni*), molluscs (*Brotia costula*), molluscs (*Paludomus conica*), red stream crab (*Parathelphusa sp*), large earthworm (*Eutyphoeu gigas*), etc;

AND WHEREAS, the Sanctuary also support varieties of avifauna such as little cormorant (*Phalacrocorax*), large egret (*Ardea alba*), intermediate egret (*Egretta intermedia*), little egret (*Egretta garzetta*), cattle egret (*Bubulcus ibis*), grey heron (*Ardea cinerea*), Indian pond heron (*Ardeola grayii*), lesser adjutant stork (*Leptoptilos javanicus*), Asian (*Anastomus oscitans*), gadwall (*Anas strepera*), lesser whistling teal (*Dendrocygna javanica*), Eurasian wigeon (*Anas Penelope*), Baer's pochard (*Aythya baeri*), common teal (*Anas crecca*), mallard (*Anas platyrhynchos*), northern pintail (*Anas acuta*), northern shoveler (*Anas clypeata*), red-crested pochard (*Netta rufina*), ferruginous duck (*Aythya nyroca*), garganey (*Anas querquedula*), common pochard (*Aythya ferina*), tufted duck (*Aythya fuligula*), pied harrier (*Circus melanoleucos*), eastern marsh harrier (*Circus spilontus*), osprey (*Pandion haliaetus*), Eurasian sparrow hawk (*Accipiter nisus*), greater spotted eagle (*Aquila clanga*), black kite (*Milvus migrans govinda*), red-headed vulture (*Sarcogyps calvus*), pied harrier (*Circus Melanoleucos*), Indian peafowl (*Pavo cristatus*), red jungle fowl (*Gallus gallus*), northern lapwing (*Vanellus vanellus*), grey headed lapwing (*Vanellus Cinereus*), red-wattled lapwing (*Vanellus indicus*), pacific golden plover (*Pluvialis fulva*), river lapwing (*Vanellus duvaucelii*), little ringed plover (*Charadrius dubius*), greater sand plover (*Charadrius leschenaultia*), yellow footed green pigeon (*Teron phoenicoptera*), oriental turtle dove (*Streptopelia orientalis*), spotted dove (*Streptopelia chinensis*), Eurasian collared dove (*Streptopelisa decaocto*), red-breasted parakeet (*Psittacula alexandri*), common hawk cuckoo (*Hierococcyx varius*), open bill strok (*Anastomus Oscitans*), pheasant-tailed jacana (*Hydrophasianus chirurgus*), bronze –winged jacana (*Metopidius indicus*), pied avocet (*Recurvirostra avosetta*), little grebe (*Tachyvaptus ruficollis*), great crested grebe (*Podiceps Cristatus*), common coot

(*Fulica atra*), purple swamphen (*Porphyrio porphyrio*), white-throated kingfisher (*Halcyon smyrnensis*), common kingfisher (*Alcedo atthis*), lesser pied kingfisher (*Ceryle rudis*), ruddy kingfisher (*Halcyon coromanda*), yellow wagtail (*Motacilla flava*), white-wagtail (*Motacilla alba*), citrine-wagtail (*Motacilla citreola*), grey-wagtail (*Motacilla cinerea*), black-headed gull (*Larus ridibundus*), whiskered tern (*Chlidonias hybridus*), barn swallow (*Hirundo rustica*), common kestrel (*Falco tinnunculus*), green bee-eater (*Merops orientalis*), Indian roller (*Coracias bengalensis*), blue-throated barbet (*Megalaima asiatica*), line-eated barbet (*Megalaima lineata*), black-rumped flameback (*Dinopium benghalense*), long-tailed shrike (*Lanius schach*), grey-backed shrike (*Lanius tephronotus*), black-hooded oriole (*Oriolus xanthronus*), ashy drongo (*Dicrurus leuccephalus*), bronzed drongo (*Dicrurus aeneus*), greater racket tailed drongo (*Dicrurus paradiseus*), crow-billed drongo (*Dicrurus annectans*), common myna (*Acridotheres tristis*), Asian pied starling (*Sturnus contra*), long-tailed minivet (*Pericrocotus ethologus*), yellow-browed warbler (*Phylloscopus inornatus*), plain prinia (*Prinia subflava*), jungle warbler (*Turdoides striatus*), striated grassbird (*Meghalurus palustris*), golden-spectacled warbler (*Seicercus burkii*), black-naped monarch (*Hypothymus azurea*), grey-headed canary flycatcher (*Culicicapa ceylonensis*), little pied flycatcher (*Ficedula westermanni*), rufous tree pie (*Dendrocitta vagabunda*), large-billed crow (*Corvus macrorhynchos*), oriental pied hornbill (*Antracoceros albirostris*), great hornbill (*Buceros bicornis*), red-vented bulbul (*Pycnonotus cafer*), white rumped shama (*Copsychus malabaricus*), white-capped water redstart (*Chaimarrornis leucocephalus*), Eurasian tree sparrow (*Passer montanus*), scaly-breasted munia (*Lonchura punctulata*), jack snipe (*Lymnocyptes minimus*), common snipe (*Gallinago gallinago*), marsh sandpiper (*Tringa stagnatilis*), green sandpiper (*Tringa ochropus*), wood sandpiper (*Tringa glareola*), common sandpiper (*Actitis hypoleucos*), common green shank (*Tringa nebularia*), little stint (*Calidris minuta*), painted snipe (*Rostratula benghalensis*), jungle bush quail (*Perdica asiatica*), etc;

AND WHEREAS, the Sanctuary area is of hilly and plain tracts with different forest types, housing endemic and endangered golden langur (*Trachypitecus geei*) and other faunal species in Kokrajhar district of Bodoland Territorial Areas District of Assam;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Chakrashila Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 76.27 meter to 8.79 kilometre around the boundary of Chakrashila Wildlife Sanctuary, in Dhubri and Kokrajhar districts in the State of Assam as Chakrashila Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.** – (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of 76.27 meter to 8.79 kilometre around the boundary of Chakrashila Wildlife Sanctuary and the area of the Eco-sensitive Zone is 251.03076 square kilometres.
 - (2) The boundary description of Chakrashila Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure-I**.
 - (3) The maps of the Chakrashila Wildlife Sanctuary demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA** and **Annexure-IIB**.
 - (4) List of geo-coordinates of the boundary of Chakrashila Wildlife Sanctuary and Eco-sensitive Zone are given in Table A and Table B of **Annexure III**.
 - (5) The list of villages falling in the proposed Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IV**.
2. **Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.**– (1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority of State.
 - (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
 - (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-
 - (i) Environment;
 - (ii) Forest and Wildlife;

- (iii) Agriculture and Horticulture;
- (iv) Land Revenue and Settlement;
- (v) Urban Development;
- (vi) Rural Development;
- (vii) Municipal;
- (viii) Panchayati Raj;
- (ix) Tourism;
- (x) Irrigation and Flood Control;
- (xi) Revenue;
- (xii) Assam State Pollution Control Board; and
- (xiii) Public Works Department.

- (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
- (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
- (6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.
- (7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.
- (8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.
- (9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

- (1) **Land use.**— (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
- (iii) small scale industries not causing pollution;
- (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
- (v) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of Article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

- (2) **Natural water bodies.**-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.
- (3) **Tourism or Eco-tourism.**- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.
- (b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.
- (c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.
- (d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone.
- (e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-
- (i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

- (ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;
- (iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.
- (4) **Natural heritage.**- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.
- (5) **Man-made heritage sites.**- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.
- (6) **Noise pollution.** - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.
- (7) **Air pollution.**- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be compiled in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.
- (8) **Discharge of effluents.**- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.
- (9) **Solid wastes.**- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-
- (a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;
- (b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.

- (10) **Bio-Medical Waste.**— Bio Medical Waste Management shall be as under:-
- the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management, Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016.
 - safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.
- (11) **Plastic waste management.**— The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.
- (12) **Construction and demolition waste management.**— The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.
- (13) **E-waste.**— The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.
- (14) **Vehicular traffic.**— The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.
- (15) **Vehicular pollution.**— Prevention and control of vehicular pollution shall be in compliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.
- (16) **Industrial units.**— (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.
- (ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.
- (17) **Protection of hill slopes.**— The protection of hill slopes shall be as under:-
- the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;
 - construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.
4. **List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.**— All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
A. Prohibited Activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	<ol style="list-style-type: none"> All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for personal consumption; The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
8.	Commercial use of fire wood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
B. Regulated Activities		
9.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
10.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
11.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents. Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
12.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the Competent Authority.
13.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
		<p>permission of the Competent Authority in the State Government.</p> <p>(b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.</p>
14.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
15.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
16.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
17.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
18.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
19.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
20.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
21.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
22.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
23.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
24.	Open well, borewell etc. for agriculture or other usage	Regulated as per the applicable laws and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
25.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
C. Promoted Activities		
30.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
31.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
32.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
33.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
34.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
35.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
36.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
37.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
38.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
39.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
40.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.- For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

S N	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
(i)	Council Head Department, Forests, BTC	Chairman, ex officio;
(ii)	Representative of Deputy Commissioner, Kokrajhar and Dhubri	Member;
(iii)	District Agriculture Officer, Kokrajhar/ Dhubri	Member;
(iv)	District Fishery Officer, Kokrajhar/ Dhubri	Member;
(v)	Representative of Police Department	Member;
(vi)	Representative of Power & Electricity Department	Member;
(vii)	Representative of AH & Veterinary Department	Member;
(viii)	Representative of Soil & Moisture Conservation Department	Member;
(ix)	Representative of Minor Irrigation Department	Member;
(x)	Representative of local Tourism Industry, to be nominated by the Government of BTC	Member;
(xi)	District Industries Officer, Kokrajhar/ Dhubri	Member;
(xii)	Senior Town Planner of the area	Member;
(xiii)	A representative of Non-governmental Organisation working in the field of wildlife conservation to be nominated by the Government of Assam	Member;
(xiv)	Regional Officer, Assam State Pollution Control Board, Bongaigaon/Kokrajhar/ Dhubri	Member;
(xv)	One expert in Ecology from reputed institution or university of the State	Member;
(xvi)	A expert in Biodiversity nominated by the State Government	Member;
(xvii)	Divisional Forest Officer, Dhubri Division, Kokrajhar	Member;
(xviii)	Divisional Forest Officer, Haltugaon Division, Kokrajhar	Member;
(xix)	DFO Wildlife Division, Kokrajhar	Member-Secretary.

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

- (2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under **paragraph 4** thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
- (5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

- (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at Annexure V.
- (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/03/2018-ESZ]

DR. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'


ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND CHAKRASHILA WILDLIFE SANCTUARY IN THE STATE ASSAM

- South:** From GPS Point No. 1 (90° 24' 2.435" E & 26° 15' 15.937" N) the boundary runs along the road till it meet the GPS Point No. 2 (90° 22' 59.475" E & 26° 15' 37.698" N). From GPS Points No.2 the boundary runs towards south along the Shrigram reserve forest boundary crossing GPS Point No. 3,4, 5 and meets the GPS Points No.6 (90° 22' 0.657" E & 26° 15' 56.342" N). From GPS Points No.6 again the boundary runs along the road crossing the GPS Point No.7,8,9,10, 11 and meets the GPS Points No.12 (90° 16' 31.958" E & 26° 16' 23.233" N).
- West:** From GPS Points No.12 again the boundary runs towards north along the Gauranga river till it meets the GPS Points No.15 (90° 14' 20.920" E & 26° 18' 21.725" N). From GPS Points No.15 again the boundary run towards north along the Tarang River crossing GPS point No. 16,17,18,19 and meets GPS Point No.20 (90° 17' 51.767" E & 26° 23' 3.854" N). From GPS Point No. 20 the boundary runs along the road crossing the GPS Point No. 21, 22,23,24 and meets the GPS Point No.25 (90° 20' 46.573" E & 26° 25' 59.574" N).
- North:** From GPS Point No.25 the boundary runs along the road as well as Pukagaon reserve forest boundary crossing the GPS Point No. 26,27 and meets the GPS Point No.28 (90° 23' 6.305" E & 26° 26' 27.792" N).
- East:** From GPS Point No.28 the boundary runs along the canal crossing the GPS Point No. 29, 30 and meets the GPS Point No. 31 (90° 23' 59.234" E & 26° 24' 32.286" N). From GPS point No. 31 the boundary runs along the road crossing the GPS Pont No.32, 33, 34, 35 and meets the GPS Point No.36 (90° 24' 44.793" E & 26° 23' 46.102" N). From GPS Point No. 36 the boundary runs towards south along the road crossing the GPS Point No.37 and meets GPS Point No.38 (90° 24' 36.671" E & 26° 21' 33.877" N). From GPS Point No. 38 the boundary runs along the tea garden area crossing the GPS Point No. 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55 and meets the GPS Point No.56 (90° 25' 41.657" E & 26° 17' 19.989" N). From GPS Point No. 56 the boundary runs towards west along the road crossing the GPS Point No. 57 and meets GPS Point No.58 (90° 25' 18.632" E & 26° 17' 26.653" N). From GPS Point No. 58 again the boundary runs along the tea garden area crossing GPS Point No.59 and meets GPS Point No.60 (90° 25' 8.609" E & 26° 16' 55.898" N). From GPS Point No.60 the boundary runs along the Areyarjhar reserve forest crossing the GPS Point No. 61, 62, 63, 64, 65 and meets the GPS Point No.66 (90° 25' 6.731" E & 26° 15' 36.624" N). From GPS Point No. 66 the boundary runs along the road crossing the GPS Point No. 67 and meets the GPS Point No.1(90° 24' 2.435" E & 26° 15' 15.937" N).


ANNEXURE- IIA

GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF CHAKRASHILA WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



ANNEXURE- IIB

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF CHAKRASHILA WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET



ANNEXURE-III

TABLE A: GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF CHAKRASHILA WILDLIFE SANCTUARY

Sl. No.	Identification of Prominent Points (●)	Latitude (N) (DMS Format)	Longitude (E) (DMS Format)
1	1	26° 22' 15.051" N	90° 20' 9.133" E
2	2	26° 22' 8.168" N	90° 20' 47.053" E
3	3	26° 21' 30.788" N	90° 20' 56.680" E
4	4	26° 21' 12.930" N	90° 21' 26.219" E
5	5	26° 20' 37.884" N	90° 21' 29.087" E
6	6	26° 20' 20.862" N	90° 21' 15.629" E
7	7	26° 19' 50.394" N	90° 21' 35.655" E
8	8	26° 19' 40.723" N	90° 21' 29.839" E
9	9	26° 19' 27.429" N	90° 21' 46.375" E
10	10	26° 19' 9.471" N	90° 22' 2.361" E
11	11	26° 18' 36.349" N	90° 21' 53.190" E
12	12	26° 18' 23.370" N	90° 22' 38.099" E
13	13	26° 17' 44.052" N	90° 22' 11.751" E
14	14	26° 17' 43.964" N	90° 21' 44.095" E
15	15	26° 17' 14.320" N	90° 20' 58.974" E
16	16	26° 17' 30.643" N	90° 20' 22.579" E
17	17	26° 18' 7.933" N	90° 20' 10.548" E
18	18	26° 19' 4.515" N	90° 19' 59.749" E
19	19	26° 18' 28.207" N	90° 19' 41.431" E
20	20	26° 17' 38.915" N	90° 19' 26.827" E
21	21	26° 18' 29.511" N	90° 19' 4.591" E
22	22	26° 18' 49.165" N	90° 18' 44.421" E
23	23	26° 19' 13.462" N	90° 18' 39.591" E
24	24	26° 19' 21.894" N	90° 18' 29.271" E
25	25	26° 19' 43.219" N	90° 18' 24.756" E
26	26	26° 18' 43.312" N	90° 18' 13.747" E
27	27	26° 18' 18.425" N	90° 18' 11.542" E
28	28	26° 18' 34.094" N	90° 17' 42.718" E
29	29	26° 19' 21.185" N	90° 17' 44.844" E
30	30	26° 18' 47.494" N	90° 17' 29.628" E
31	31	26° 19' 5.696" N	90° 17' 17.956" E
32	32	26° 19' 37.878" N	90° 16' 46.542" E
33	33	26° 19' 43.594" N	90° 16' 35.991" E
34	34	26° 20' 10.000" N	90° 16' 42.234" E
35	35	26° 20' 21.696" N	90° 17' 17.340" E
36	36	26° 20' 20.449" N	90° 17' 52.818" E
37	37	26° 21' 4.213" N	90° 18' 33.673" E

38	38	26° 21' 0.128" N	90° 19' 7.338" E
39	39	26° 21' 42.956" N	90° 19' 41.426" E
40	40	26° 22' 3.950" N	90° 19' 17.423" E

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE

Sl. No.	Identification of Prominent Points (▲)	Latitude (N) (DMS Format)	Longitude (E) (DMS Format)
1	1	26° 15' 15.937" N	90° 24' 2.435" E
2	2	26° 15' 37.698" N	90° 22' 59.475" E
3	3	26° 14' 55.435" N	90° 23' 16.943" E
4	4	26° 14' 7.666" N	90° 22' 9.769" E
5	5	26° 15' 16.248" N	90° 21' 39.445" E
6	6	26° 15' 56.342" N	90° 22' 0.657" E
7	7	26° 16' 58.640" N	90° 21' 37.087" E
8	8	26° 16' 31.246" N	90° 20' 45.137" E
9	9	26° 16' 14.500" N	90° 19' 46.525" E
10	10	26° 15' 35.214" N	90° 19' 28.253" E
11	11	26° 16' 5.678" N	90° 17' 47.494" E
12	12	26° 16' 23.233" N	90° 16' 31.958" E
13	13	26° 16' 51.145" N	90° 16' 3.642" E
14	14	26° 17' 32.060" N	90° 15' 0.976" E
15	15	26° 18' 21.725" N	90° 14' 20.920" E
16	16	26° 19' 29.065" N	90° 14' 57.608" E
17	17	26° 19' 59.692" N	90° 15' 36.389" E
18	18	26° 20' 49.481" N	90° 16' 23.750" E
19	19	26° 21' 40.008" N	90° 16' 55.931" E
20	20	26° 23' 3.854" N	90° 17' 51.767" E
21	21	26° 22' 57.213" N	90° 18' 16.997" E
22	22	26° 23' 57.350" N	90° 19' 1.259" E
23	23	26° 25' 17.037" N	90° 19' 33.033" E
24	24	26° 25' 42.926" N	90° 20' 49.934" E
25	25	26° 25' 59.574" N	90° 20' 46.573" E
26	26	26° 26' 21.981" N	90° 21' 23.776" E
27	27	26° 26' 7.959" N	90° 22' 20.208" E
28	28	26° 26' 27.792" N	90° 23' 6.305" E
29	29	26° 26' 23.503" N	90° 23' 28.723" E
30	30	26° 25' 38.368" N	90° 23' 37.610" E
31	31	26° 24' 32.286" N	90° 23' 59.234" E
32	32	26° 24' 23.889" N	90° 24' 1.019" E
33	33	26° 24' 22.065" N	90° 23' 29.002" E
34	34	26° 23' 49.117" N	90° 23' 17.186" E
35	35	26° 23' 44.108" N	90° 23' 54.103" E
36	36	26° 23' 46.102" N	90° 24' 44.793" E
37	37	26° 21' 36.729" N	90° 24' 30.486" E
38	38	26° 21' 33.877" N	90° 24' 36.671" E
39	39	26° 21' 41.215" N	90° 24' 51.679" E
40	40	26° 21' 39.660" N	90° 25' 12.021" E
41	41	26° 20' 59.828" N	90° 25' 4.860" E
42	42	26° 20' 19.192" N	90° 24' 51.372" E

43	43	26° 20' 7.546" N	90° 24' 47.652" E
44	44	26° 20' 3.049" N	90° 24' 45.157" E
45	45	26° 19' 45.574" N	90° 25' 3.072" E
46	46	26° 19' 38.632" N	90° 25' 1.010" E
47	47	26° 19' 27.637" N	90° 25' 2.381" E
48	48	26° 19' 27.676" N	90° 25' 28.809" E
49	49	26° 18' 54.297" N	90° 25' 35.410" E
50	50	26° 18' 33.164" N	90° 25' 56.627" E
51	51	26° 18' 12.190" N	90° 25' 54.515" E
52	52	26° 18' 12.448" N	90° 25' 53.165" E
53	53	26° 18' 8.320" N	90° 25' 52.308" E
54	54	26° 17' 58.274" N	90° 26' 5.405" E
55	55	26° 17' 39.456" N	90° 25' 50.144" E
56	56	26° 17' 19.989" N	90° 25' 41.657" E
57	57	26° 17' 23.957" N	90° 25' 29.742" E
58	58	26° 17' 26.653" N	90° 25' 18.632" E
59	59	26° 17' 4.268" N	90° 25' 10.380" E
60	60	26° 16' 55.898" N	90° 25' 8.609" E
61	61	26° 16' 44.148" N	90° 25' 24.305" E
62	62	26° 16' 22.067" N	90° 25' 38.947" E
63	63	26° 16' 19.386" N	90° 25' 22.321" E
64	64	26° 16' 9.378" N	90° 25' 18.243" E
65	65	26° 15' 50.814" N	90° 25' 5.626" E
66	66	26° 15' 36.624" N	90° 25' 6.731" E
67	67	26° 15' 25.675" N	90° 24' 34.507" E

ANNEXURE-IV

LIST OF VILLAGES COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF CHAKRASHILA WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES

Sl. No.	Village Name	GPS Location	
		Latitude (N)	Longitude (E)
1	Abhayakhuti	26°17'255"	90°26'162"
2	Anajuli	26°19'028"	90°22'098"
3	Bandarpara	26°18'178"	90°20'023"
4	Bandarmuri	26°20'256"	90°17'657"
5	Bandwguri	26°22'744"	90°18'075"
6	Basbhari (Owabari)	26°18'046"	90°17'579"
7	Basbhari-II (Kathalguri)	26°21'644"	90°18'232"
8	Belguri 1 (Dhupguri-R)		
9	Belguri-2 (Harinaguri-R)	26°21'644"	90°18.232"
10	Bhalukjhora	26°19'922"	90°16'125"
11	Chakrashila	26°17'321"	90°22'085"
12	Choraikhola	26°23'518"	90°18'453"
13	Choudhuripara	26°18'262"	90°18'473"
14	Damodarpur-I	26°18'124"	90°18'869"
15	Damodarpur-II (Rajbongsjipara)	26°18'124"	90°18'869"

16	Dauraighat	26°22'700"	90°18'031"
17	Dwkibari	26°18'119"	90°17'586"
18	Dabargaon	26°19'216"	90°22'037"
19	Dhupguri-I	26°21'608"	90°18'638"
20	Harikhola (Garobasti)	26°19.090"	90°17'474"
21	Harinaguri (Rabha)	26°22'411"	90°18'376"
22	Harinaguri (Nepalibasti)	26°22'411"	90°18'376"
23	Hirapara (Ujan para)	26°19'102"	90°16'431"
24	Jatrasiguri-I	26°20'623"	90°18'154"
25	Jornagra	26°16'592"	90°20'44"
26	Khakrikola	26.22'185"	90.21'275"
27	Kumarighat	26.19'393"	90.22'055"
28	Kumguri	26°21'550"	90°21'705"
29	Malsingpara	26°18'349"	90°22'174"
30	Mauriagaon-1	26°21'153"	90°21'954"
31	Mauriagaon-2	26°20'533"	90°21'445"
32	Nalbari-1 (Bodobasti)	26°21'766"	90°18'930"
33	Nalbari-2 (Rabhabasti)	26°21'766"	90°18'900"
34	Nayekgaon	26°21'553"	90°22'253"
35	Pundibari	26°22'122"	90°21'222"
36	Salbari	26°17'261"	90°19'570"
37	Siljan	26.22'460"	90.20'529"
38	Taraibari	26°22'902"	90°18'241"
39	Tintilla	26°17'379"	90°21'229"
40	Garotila	26°23'282"	90°18'808"
41	Dindangpara	26°23'463"	90°18'571"
42	Katrigacha	26°21'428"	90°16'923"
43	Bhomoraguri	26°20'745"	90°18'070"
44	Dangdufur	26°19'043"	90°18'172"
45	Harirdol	26°16'310"	90°20'436"
46	Kultungpara	26°20'014"	90°22'365"
47	Bedlangmari (Boro Basti)	26°24'267"	90°19'272"
48	Rainadabri	26°21'242"	90°16'105"
49	Ghoramara	26°20'280"	90°15'438"
50	Zamadarpara	26°24'343"	90°15'663"
51	Ranighuli	26°19'632"	90°15'900"
52	Ranighuli Namapara	26°19'901"	90°15'436"
53	Mutupara	26°18'888"	90°15'714"
54	Patgiripara	26°18'607"	90°16'263"
55	Jiaguri	26°18'836"	90°16'159"
56	Nalbari	26°17'660"	90°17'898"

57	Boroghola	26°17'442"	90°17'897"
58	Bethagaon	26°16'895"	90°17'983"
59	Bamunpara	26°16'877"	9018'534"
60	Balagatha	26°16'505"	90°18'648"
61	Amguri	26°21'053"	90°23'539"
62	Ketengajhora	26°20'508"	90°23'616"
63	Bangaldoba	26°19' 291"	90°23'128"
64	Garlajhora	26°23'627"	90°22'329"
65	Baksamara	26°20'704"	90°22'544"
66	Tilapara-Saljhar	26°22'375"	90°22'049"
67	Satipura	26°16'215"	90°17'233"
68	Horirdol	26°18'171"	90°16'212"
69	Srigrām	26°17'325"	90°28'110"
70	Kolobari	26°18'379"	90°22'239"
71	Chagalkhuti	26°20'332"	90°22'518"

ANNEXURE –V**Performa of Action Taken Report:**

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.